श्रीधर सी0 भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा दिनांक 26.07.2013 को अनुमण्डल कार्यालय, नरकटियागंज भवन में कोषागार की स्थापना से संबंधित किए गये निरीक्षण की टिप्पणी :–

1. दिनांक 26.07.2013 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमडल कार्यालय, नरकटियागंज भवन म कोषागार कार्यालय की स्थापना हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज, कोषागार पदाधिकारी, बेतिया एवं विसवान के टी.सी.एस. कंसलटेंट उपस्थित थे। निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित निद्रेश दिए गए :–

2. भवन :–

अनुमंडल कार्यालय, नरकटियागंज के नव निर्मित कार्यालय भवन के भूमि तल के दायें भाग में कोषागार कार्यालय, नरकटियागंज को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। निरीक्षण के क्रम में दायी भाग में सबसे पहला कमरा कोषागार पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ के रूप में उपयोग किया जायेगा। उससे सटे हुए एक बड़े कमरे में फेसिलेटर सेंटर–सह–कार्यालय के रूप में कार्य करने का निर्णय लिया गया। उक्त कमरे के बगल में दो छोटे कमरे अवस्थित है जिसमें से एक कमरे का उपयोग स्ट्रांग रूम के रूप में तथा दूसरे कमरे का उपयोग बिसवान का पोप रूम स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

3. <u>विद्युत व्यवस्था</u> :–

   1. कोषागार स्थापित करने हेतु चिन्हित कमरों में विद्युत वायरिंग कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को उपलब्ध कराये गये कार्यालय व्यय अंतर्गत सुनिश्चित किया जायेगा। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज स्थानीय व्यवस्था अंतर्गत विद्युत वायरिंग की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
   2. कोषागार कार्यालय, नरकटियागंज के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु जेनरेटर क्रय करने के लिए आवंटन की मांग वित्त विभाग, बिहार से करने का निदेश कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को दिया गया।
   3. कोषागार पदाधिकारी, बेतिया के द्वारा यू.पी.एस. की आवश्यकता बतायी गयी। कार्यालय मद मे उपलब्ध करायी गयी राशि से क्रय करने का निदेश दिया गया।

4. <u>बिस्वान कनेक्शन</u> :–

कोषागार कार्यालय के लिए बिसवान कनेक्शन की व्यवस्था टी.सी.एस. कंसल्टेंट जो उपस्थित हैं को बेल्ट्रॉन के माध्यम से कराने का निदेश दिया गया। इस संबंध में बताया गया कि हब स्वीच लगाने की आवश्यकता है। इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

5. <u>प्राप्त सामग्रियों का सत्यापन / अधिष्ठापन</u> :–

कोषागार कार्यालय के लिए क्रय की गयी कुर्सी, टेबुल, आलमीरा, कम्प्यूटर इत्यादि वर्तमान में अंचल कार्यालय में रखा हुआ है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता सह प्रभारी कोषागार पदाधिकारी [illegible] सुनिश्चित करेंगे।

6. अभिलेख का हस्तांतरण :–

कोषागार पदाधिकारी, बेतिया निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के हस्ताक्षर के नमूने, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से संबंधित विवरणी एवं अन्य महत्वपूर्ण कागजात दिनांक 20.08.2013 तक नव सृजित कोषागार कार्यालय, नरकटियागंज को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करेंगे। कोषागार पदाधिकारी, बेतिया के द्वारा बताया गया कि नरकटियागंज अनुमंडल प्रशासनिक क्षेत्र अंतर्गत कुल 85 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी हैं।

7. **प्रशिक्षण की व्यवस्था :–**

कोषागार पदाधिकारी, बेतिया नरकटियागंज कोषागार हेतु नामित लिपिक और नामित कोषागार पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, नरकटियागंज का जिला स्तर पर ब्रीफिंग कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

8. **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त करना :–**

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, नरकटियागंज जो कोषागार पदाधिकारी, नरकटियागंज के रूप में नामित हैं को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदान करने हेतु महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु कोषागार पदाधिकारी, बेतिया पत्राचार सुनिश्चित करेंगे।

9. **कोषागार कार्यालय द्वारा कार्य का निष्पादन :–**

उपरोक्त सारी व्यवस्था 15 अगस्त, 2013 से पूर्व कर ली जाय। 15 अगस्त, 2013 को कोषागार का ट्रायल कोषागार पदाधिकारी, बेतिया सुनिश्चित करेंगे।

यह निर्णय लिया गया कि कोषागार कार्यालय, नरकटियागंज का पूर्णकालिक संचालन **दिनांक 01.09.2013** से प्रारंभ किया जायेगा। इससे पूर्व कोषागार पदाधिकारी, बेतिया नरकटियागंज अनुमंडल अंतर्गत सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को पत्र निर्गत कर अगस्त माह का विपत्र नरकटियागंज कोषागार में प्रेषित करने हेतु सूचित करेंगे। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, नरकटियागंज एवं अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को निदेश दिया गया कि वे शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नरकटियागंज के साथ समन्वय हेतु बैठक आयोजित कर सभी बिंदुओं पर विचार–विमर्श कर किसी बिंदु पर समस्या हो तो निराकरण सुनिश्चित करें।

(श्रीधर सी.)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1492/गो. दिनांक 20/08/2013

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उपसमाहर्ता, नरकटियागंज–सह–नामित कोषागार पदाधिकारी, नरकटियागंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/टी.सी.एस. कंसलटेंट, बिसवान, बेतिया/आई0टी0 मैनेजर, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता/उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण [illegible]

(श्रीधर सी.)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1492 / गो. दिनांक 20/08/2013

प्रतिलिपि : आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीधर सी.)

जिला पदाधिकारी,

पश्चिम चम्पारण, बेतिया।